रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-30072026-274981
CG-TL-E-30072026-274981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
No. 478] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 30 जुलाई, 2026

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2026

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/ 7/221/2026.— बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी, 42ई और 64यूएम के साथ पठित धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (एक्स) और (एक्सए) तथा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. **विनियमों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**

   (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2026 कहलाएँगे।

   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **उद्देश्य:** इन विनियमों का उद्देश्य बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों (एसएलएएस) को नियंत्रित करनेवाले विनियामक ढाँचे को सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025 ("एसबीएसआर अधिनियम") के उपबंधों के साथ सुयोजित करना और परिचालनगत दक्षता बढ़ाना है।

3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में:

(1) शब्द "लाइसेंस" (license) अथवा "लाइसेंस" (licence) अथवा "लाइसेंसीकरण" को शब्द "पंजीकरण" से प्रतिस्थापित किया जाएगा, उन स्थितियों को छोड़कर जहाँ इन विनियमों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(2) शब्द "लाइसेंसप्राप्त" को "लाइसेंसप्राप्त/पंजीकृत" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. **विनियम 2 में**

(1) उप-विनियम (2) में, वाक्यांश "उसका नवीकरण" को वाक्यांश "लाइसेंस का पंजीकरण में परिवर्तन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (13) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

""सर्वेक्षक और हानि निर्धारक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक, संक्षेप में एसएलए, के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार द्वारा लाइसेंसप्राप्त/पंजीकृत किया गया हो।"

5. **विनियम 3 में**

(1) उप-विनियम (9) में, शब्द "पंजीकरण प्रदान करने के लिए" के बाद शब्द "और विनियम 5(ख) में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है" निविष्ट किये जाएँगे।

(2) उप-विनियम (10) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रदान किया गया पंजीकरण, विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक वह वैयक्तिक सर्वेक्षक द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता अथवा प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।"

6. **विनियम 4 में**

(1) उप-विनियम (13) में, शब्द "पंजीकरण प्रदान करने के लिए" के बाद शब्द "और विनियम 5(ख) में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है" निविष्ट किये जाएँगे।

(2) उप-विनियम (14) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रदान किया गया पंजीकरण, विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक कारपोरेट सर्वेक्षक द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता अथवा प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।"

7. **विनियम 5** को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**शुल्क संरचना:**

क. **प्रसंस्करण शुल्क:** वापस न करने योग्य देय प्रसंस्करण शुल्क नीचे दिया गया है:

	प्रसंस्करण शुल्क
वैयक्तिक पंजीकरण	रु. 5000 + लागू कर
कारपोरेट पंजीकरण	रु.25000 + लागू कर

ख. **वार्षिक शुल्कः** पंजीकरण प्रदान करने से पहले और उसके बाद प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की गई भुगतान की पद्धति के माध्यम से देय वार्षिक शुल्क, नीचे दिया गया हैः

	वार्षिक शुल्क
वैयक्तिक पंजीकरण	रु.1000 + लागू कर
कारपोरेट पंजीकरण	रु.5000 + लागू कर

8. विनियम 6 में

(1) शीर्षक को "**लाइसेंस धारित करने वाले वर्तमान सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (एसएलए) को पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए प्रक्रिया**" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले जारी किया गया कोई भी लाइसेंस ऐसे लाइसेंस पर उल्लिखित रूप में समाप्ति की तारीख तक विधिमान्य रहेगा।

बशर्ते कि कोई लाइसेंसधारक जिसने इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राधिकरण को पहले ही आवेदन प्रस्तुत किया हो, वहाँ ऐसे लाइसेंस को पंजीकरण के रूप में लाइसेंस के परिवर्तन के लिए आवेदन के रूप में माना जाएगा। प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ऐसे परिवर्तन के लिए पात्र है और उसने विनियम 5(ख) में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है, इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट रूप में, फार्म आईआरडीएआई -2 – एलएफ अथवा फार्म आईआरडीएआई – 4- एलएफ, जैसी स्थिति हो, में पंजीकरण प्रदान करेगा।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद, एक विधिमान्य लाइसेंस का धारक उस लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 90 दिन पहले, विनियम 5(क) में विनिर्दिष्ट रूप में प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्राधिकरण को एक आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा। ऐसे आवेदन को उसके लाइसेंस को पंजीकरण में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत आवेदन के रूप में माना जाएगा। ऐसे परिवर्तन के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने पर तथा विनियम 5(ख) में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के बाद, प्राधिकरण इन विनियमों की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट फार्म आईआरडीएआई –2– एलएफ अथवा फार्म आईआरडीएआई – 4 – एलएफ, जैसी स्थिति हो, में पंजीकरण प्रदान करेगा।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि यदि कोई लाइसेंसधारक ऊपर के दूसरे परंतुक के अनुसार प्राधिकरण से संपर्क नहीं करता, तो उसके लाइसेंस का प्रचलन में होना समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में, प्राधिकरण यदि संतुष्ट होता है कि अन्यथा अनुचित कष्ट उत्पन्न होगा, सात सौ पचास रुपये और लागू कर के अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ ऐसे लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद 6 महीने के अंदर पंजीकरण के रूप में लाइसेंस के परिवर्तन के लिए प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर सकता है। प्राधिकरण, स्वयं संतुष्ट होने पर कि आवेदक विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है तथा उसने विनियम 5 (ख) में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है, इन विनियमों की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट फार्म आईआरडीएआई –2– एलएफ अथवा फार्म आईआरडीएआई – 4 – एलएफ, जैसी स्थिति हो, में पंजीकरण प्रदान करेगा।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि यदि कोई लाइसेंसधारक ऊपर के तीसरे परंतुक के अनुसार प्राधिकरण से संपर्क नहीं करता, तो उसके लाइसेंस का प्रचलन में होना समाप्त हो जाएगा। एसएलए के रूप में कार्य करने के लिए नया पंजीकरण प्राप्त करने हेतु व्यक्ति विनियम 17 के अधीन नये सिरे से नाम दर्ज करवाने के उपरांत तथा उसके अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करने के बाद विनियम 3 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार, एक कारपोरेट सर्वेक्षक, इस स्थिति में विनियम 4 के अंतर्गत नये पंजीकरण के लिए सीधे आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-विनियम (2) छोड़ दिया जाएगा।

(4) उप-विनियम (3), (4) और (5) में, शब्द “नवीकरण”, “लाइसेंस का नवीकरण” और “नवीकरण करना” को क्रमशः “परिवर्तन”, “लाइसेंस का परिवर्तन” और “परिवर्तन करना” से प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

(5) उप-विनियम (5) में, शब्द “फार्म-आईआरडीएआई-7-एलएफ” और “फार्म-आईआरडीएआई-8-एलएफ” को क्रमशः शब्द “फार्म-आईआरडीएआई-2-एलएफ” और “फार्म-आईआरडीएआई-4-एलएफ” से प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

(6) उप-विनियम (6) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“इस प्रकार एक पंजीकरण के रूप में परिवर्तित लाइसेंस विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में रहेगा जब तक एसएलए द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता अथवा प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।”

9. विनियम 8 में

(1) शीर्षक को “**प्रक्रिया जहाँ विनियम 6 के अनुसार पंजीकरण के रूप में लाइसेंस का परिवर्तन अस्वीकृत किया गया है**” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) में, “लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन” शब्दों को “पंजीकरण के रूप में लाइसेंस का परिवर्तन” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) में, शब्द “लाइसेंस का” छोड़ दिये जाएँगे।

(4) उप-विनियम (4) में, “लाइसेंस नवीकरण” शब्द “लाइसेंस परिवर्तन” से प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

10. विनियम 9 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“पंजीकृत सर्वेक्षक और हानि निर्धारक द्वारा वार्षिक शुल्क के भुगतान तथा संबंधित विषयों के लिए प्रक्रिया:

(1) प्रत्येक पंजीकृत सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (एसएलए) प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, 1 जनवरी और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी के बीच, विनियम 5(ख) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगा:

i. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए फार्म 11 और फार्म 12

ii. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरण (केवल कारपोरेट सर्वेक्षक के लिए)

iii. विधिवत् भरा गया योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) फार्मेट

iv. प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य दस्तावेज।

बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष के 1 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान विनियम 3 या विनियम 4 या विनियम 6 के अंतर्गत पंजीकरण प्रदत्त आवेदक, चालू (आनगोइंग) वर्ष के लिए पंजीकरण प्रदान करने के समय देय वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त, तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान करेंगे।

(2) वार्षिक शुल्क के भुगतान के समय प्रस्तुत कोई भी गलत विवरण या झूठा दस्तावेज/ घोषणा विनियामक कार्रवाई (अर्थदंड/निलंबन/ निरसन, आदि) के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

(3) एसएलए जो ऊपर उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता, उसका भुगतान सात सौ पचास रुपये और लागू कर के अतिरिक्त शुल्क और ऊपर उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक कर सकता है। 31 मार्च तक वार्षिक शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में 1 अप्रैल से अधिनियम की धारा 42डी(6)(v) के अधीन पंजीकरण निलंबित किया जाएगा। एसएलए जिसका पंजीकरण निलंबित किया जाता है, ऐसे निलंबन की तारीख से नये सर्वेक्षण

कार्य स्वीकार नहीं करेगा अथवा लंबित कार्यों के संबंध में सर्वेक्षण जारी नहीं रखेगा अथवा सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी नहीं करेगा। ऐसे पंजीकरण का निलंबन ऐसे निलंबन की तारीख से तीन महीने के अंदर एक हजार पाँच सौ रुपये और लागू कर के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान पंजीकरण 5(ख) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क तथा ऊपर उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ करने पर वापस लिया जा सकता है, तथा ऐसा न करने पर पंजीकरण धारा 42डी(6)(v) के अधीन निरस्त किया जाएगा। पंजीकरण का इस प्रकार का निलंबन/निरसन प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं करेगा कि विनियम 23 और 24 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाए।

11. विनियम 15 में,

(1) उप-विनियम (1) का खंड (ख) छोड़ दिये जाएँगे।

(2) उप-विनियम (3) में, "ऐसे आवेदन पर विचार करेगा तथा" शब्दों के बाद, "संस्थान से टिप्पणियां आमंत्रित करेगा। आवेदन और संस्थान से प्राप्त टिप्पणियों की समीक्षा करने के बाद, प्राधिकरण" शब्द निविष्ट किया जाएगा।

12. विनियम 19 में

(1) उप-विनियम (1) के खंड (ग) में, "लाइसेंस संख्या और विधिमान्यता की अवधि" शब्दों को "लाइसेंस संख्या उसकी समाप्ति की तारीख सहित अथवा पंजीकरण संख्या, जैसी स्थिति हो" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (2) में, शब्द "लाइसेंस" को "लाइसेंस/पंजीकरण" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

13. विनियम 23 में

(1) शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**वार्षिक शुल्क का भुगतान न करने को छोड़कर अन्य कारणों से लाइसेंस/पंजीकरण का निलंबन**"

(2) उप-विनियम (1) से (5) तक में शब्द "लाइसेंस" को "लाइसेंस/पंजीकरण" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (1) के खंड (ग) में, शब्द "उसका" को शब्द "लाइसेंस का" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) उप-विनियम (1) के खंड (ग) में, शब्द "ऐसे लाइसेंस का निर्गम या नवीकरण" को शब्द "पंजीकरण की तारीख" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. विनियम 24 में

(1) उप-विनियम (1) और (2) में, शब्द "लाइसेंस" को "लाइसेंस/पंजीकरण" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (3) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सर्वेक्षक जिसके लाइसेंस/पंजीकरण को, विनियम 9 के उप-विनियम (3) के अंतर्गत निरसन को छोड़कर, निरस्त किया गया है वह ऐसे निरसन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद, नये पंजीकरण के निर्गम के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। वैयक्तिक सर्वेक्षक विनियम 17 के अधीन नये सिरे से नाम दर्ज करवाने के बाद और उसके अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करने के उपरांत विनियम 3 के अधीन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार, इस स्थिति में कारपोरेट सर्वेक्षक विनियम 4 के अंतर्गत सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।"

बशर्ते कि यदि पंजीकरण विनियम 9 के अधीन निरस्त किया जाता है, तो एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि की मांग लागू नहीं होगी। तथापि, नये पंजीकरण हेतु दोनों वैयक्तिक और कारपोरेट सर्वेक्षकों के लिए लागू की जानेवाली ऊपर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी।"

15. विनियम 25 में

शीर्षक में और उप-विनियम (1) से (5) तक में, शब्द "लाइसेंस" (license) या "लाइसेंस" (licence) को "लाइसेंस/पंजीकरण" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. विनियम 25क में

शीर्षक में और उप-विनियम (1) से (5) तक में, शब्द "लाइसेंस" को "लाइसेंस/पंजीकरण" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17. विनियम 28 में, शब्द "और नवीकरण" छोड़ दिये जाएँगे।

18. अनुसूची II में, फार्म – आईआरडीएआई – 2 – एलएफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015

फार्म – आईआरडीएआई – 2 – एलएफ

पंजीकरण प्रमाणपत्र

फ़ोटो

पंजीकरण संख्याः

श्री / श्रीमती / कुमारीः

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यूएम के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (वैयक्तिक) के रूप में कार्य करने के लिए अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन ऊपर विनिर्दिष्ट व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक यह प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

________________________ को निम्नलिखित विभाग आबंटित किये जाते हैं:

फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध	लाभ की हानि	फ़सल
हाँ/शून्य	हाँ/शून्य	हाँ/शून्य	हाँ/शून्य	हाँ/शून्य	हाँ/शून्य	हाँ/शून्य	हाँ/शून्य

आईआईआईएसएलए की सदस्यता संख्याः

(एसएलए के हस्ताक्षर)

आदेशानुसार

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से

स्थान: हैदराबाद

दिनांक:

19. अनुसूची II में, फार्म – आईआरडीएआई – 4 – एलएफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015

फार्म – आईआरडीएआई – 4 – एलएफ

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.:

कंपनी/फर्म का नामः

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यूएम के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (कारपोरेट) के रूप में कार्य करने के लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन ऊपर विनिर्दिष्ट संस्था को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक यह प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

वैयक्तिक पंजीकरण / लाइसेंस सं. और विभागों सहित निदेशकों / भागीदारों का विवरण निम्नलिखित है:

नाम	पंजीकरण सं.	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	विविध	फ़सल	एलओपी

स्थान: हैदराबाद

दिनांक:

आदेशानुसार

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से

फोटो निदेशक/भागीदार 1	फोटो निदेशक/भागीदार 2	फोटो निदेशक/भागीदार 3
नाम	नाम	नाम
लाइसेंस/पंजीकरण सं.	लाइसेंस/पंजीकरण सं.	लाइसेंस/पंजीकरण सं.
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

20. अनुसूची II में, फार्म – आईआरडीएआई – 7 – एलएफ, फार्म – आईआरडीएआई – 8 – एलएफ और फार्म – आईआरडीएआई – 10 – एलएफ छोड़ दिया जाएँगे।

जी. आर. सूर्या कुमार, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./247/2026-27]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 30th July, 2026

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyor and Loss Assessors) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IRDAI/Reg/7/221/2026.— In exercise of the powers conferred by clause (x) and (xa) of sub-section 2 of Section 114A read with Sections 42D, 42E and 64UM of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), and Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), as amended from time to time, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following amendments to Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015, namely; -

1. **Short Title and Commencement of the Regulations:**
   (1) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (Amendment) Regulations, 2026.
   (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. **Objective:** The objective of these Regulations is to align the regulatory framework governing Insurance Surveyors and Loss Assessors with the provisions of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025.and to increase operational efficiency.
3. In the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015:
   (1) The words “license” or “licence” or “licensing” shall be substituted with the word “registration” except where expressly specified in these Regulations.
   (2) The word “licensed” shall be substituted with the word “licensed/registered”.
4. **In Regulation 2**
   (1) In Sub-Regulation (2), the phrase “renewal thereof “shall be substituted with the phrase “conversion of the licence into registration”.
   (2) Sub-Regulation (13) shall be substituted, namely:-
   ““Surveyor and Loss Assessor”, in short SLA, means a person who is licensed/registered by the Authority to act as Surveyor and Loss Assessor.”
5. **In Regulation 3**
   (3) In Sub-regulation (9), after the words “grant of registration”, the words “and has paid the annual fee specified in Regulation 5(b)” shall be inserted.
   (4) Sub-regulation (10) shall be substituted, namely:-
   “The registration granted shall remain in-force subject to the payment of specified annual fee until surrendered by the individual surveyor or suspended or cancelled by the Authority.”
6. **In Regulation 4**
   (1) In Sub-regulation (13), after the words “grant of registration”, the words “and has paid the annual fee specified in Regulation 5(b)” shall be inserted.
   (2) Sub-regulation (14) shall be substituted, namely:-
   “The registration granted shall remain in-force subject to the payment of specified annual fee until surrendered by the corporate surveyor or suspended or cancelled by the Authority.”
7. **Regulation 5** shall be substituted, namely:-
   “**Fee Structure:**
   a. **Processing Fee:** The non-refundable processing fee payable is given below:

	Processing Fee
Individual registration	Rs. 5000 + applicable taxes
Corporate registration	Rs. 25000 + applicable taxes

b. **Annual Fee**: The annual fee payable through the payment mode as specified by the Authority before grant of registration and every year thereafter, is given below:

	Annual Fee
Individual registration	Rs. 1000 + applicable taxes
Corporate registration	Rs. 5000 + applicable taxes

8. In Regulation 6

(1) The heading shall be substituted with "**Procedure for issuance of certificate of registration to the existing surveyor and loss assessors (SLA) holding a license**"

(2) Sub-regulation (1) shall be substituted, namely:-

"Any license issued before the date of notification of these Regulations shall remain valid till the date of expiry as mentioned on such license.

Provided that a license holder who has already applied to the Authority for renewal of his license before the date of notification of these Regulations, such application shall be treated as an application for conversion of the license into registration. The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for such conversion and has paid the annual fee specified in Regulation 5(b), shall grant the registration in Form IRDAI – 2 – LF or Form IRDAI – 4 – LF, as the case may be, as specified in Schedule II of these Regulations.

Provided further that after the date of notification of these Regulations, the holder of a valid license shall make an online application to the Authority along with the processing fee as specified in Regulation 5(a), within 90 days before the date of expiry of that license. Such application shall be treated as an application for conversion of his license into registration. Upon satisfying the specified criteria for such conversion and has paid the annual fee specified in Regulation 5(b), the Authority shall grant the registration in Form IRDAI – 2 – LF or Form IRDAI – 4 – LF, as the case may be, as specified in Schedule II of these Regulations.

Provided further that if a license holder fails to approach the Authority before the expiry of his license, then his license shall cease to remain in force. In such cases, the Authority may, if satisfied that undue hardship would be caused otherwise, accept an application for conversion of license into registration, submitted within 6 months after the date of expiry of such license along with an additional late fee of seven hundred and fifty rupees plus applicable taxes. The Authority, upon satisfying itself that the applicant meets the specified eligibility criteria and has paid the annual fee as specified in Regulation 5(b), shall grant the registration in Form IRDAI – 2 – LF or Form IRDAI – 4 – LF, as the case may be, as specified in Schedule II of these Regulations.

Provided further that if a license holder fails to approach the Authority as per third proviso above, the license shall cease to exist. To obtain a new registration to act as SLA, an individual may apply under Regulation 3 after enrolling afresh under Regulation 17 and complying with the requirements thereunder. Similarly, a corporate surveyor, in this case, shall apply directly for a new registration under Regulation 4."

(3) Sub-regulation (2) shall be omitted.

(4) In Sub-regulation (3), (4) and (5), the words "renewal", "renewal of license" and "renew" shall be substituted with "conversion", "conversion of license" and "convert" respectively.

(5) In Sub-regulation (5), the words "FORM – IRDAI – 7 – LF" and "FORM – IRDAI – 8 – LF" shall be substituted with the words "FORM – IRDAI – 2 – LF" and "FORM – IRDAI – 4 – LF" respectively.

(6) Sub-regulation (6) shall be substituted, namely:-

"The license so converted into a registration shall remain in-force subject to the payment of specified annual fee until surrendered by the SLA or suspended or cancelled by the Authority."

9. In Regulation 8

(1) The heading shall be substituted with "**Procedure where conversion of license into registration in terms of Regulation 6, is refused"**

(2) In Sub-regulation (1), the words "application for renewal of license" shall be substituted with "conversion of license into registration".

(3) In Sub-regulation (2), the words "of license" shall be omitted.

(4) In Sub-regulation (4), the words "license renewal" shall be substituted with "license conversion".

10. Regulation 9 shall be substituted, namely:-

"**Procedure for payment of annual fee by registered Surveyor and Loss Assessors and related matters:**

(1) Every registered Surveyor and Loss Assessor (SLA) shall pay an annual fee as specified under Regulation 5(b), for every financial year, between 1st January and 31st January of the preceding financial year, along with the following documents to the Authority:

i. Form 11 and Form 12 for the preceding financial year

ii. Audit report and financial statement of preceding financial year (for corporate surveyor only)

iii. Duly filled Fit and proper format

iv. Any other document as may be specified by the Authority.

Provided that applicants granted a registration under Regulation 3 or Regulation 4 or Regulation 6 during the period from 1st January to 31st March of any financial year, shall pay the annual fee for the immediately succeeding financial year in addition to the annual fee payable at the time of grant of registration for the ongoing financial year.

(2) Any wrong particulars or false document/declaration furnished at the time of payment of annual fee may lead to regulatory action (penalty/suspension/cancellation, etc.).

(3) An SLA who fails to pay the annual fee within the time period specified in sub-Regulation (1) above may pay the same till 31st March of that financial year, along with an additional fee of seven hundred and fifty rupees plus applicable taxes and documents specified in sub-Regulation (1) above. A registration shall stand suspended under Section 42D(6)(v) of the Act with effect from 1st April in the event of failure to pay the annual fee by 31st March. An SLA whose registration stands suspended shall not accept new survey assignments or continue surveys on pending assignments or issue a survey report from the date of automatic suspension. Suspension of such registration may be revoked within three months from the date of such suspension upon payment of an additional fee of one thousand and five hundred rupees plus applicable taxes along with the annual fee as specified under Regulation 5(b) and documents specified in sub-Regulation (1) above, failing which the registration shall stand cancelled under Section 42D(6)(v). Such suspension/cancellation of registration shall not require the Authority to follow the procedures specified under Regulations 23 and 24.

11. In Regulation 15,

(1) Clause (b) of Sub-regulation (1) shall be omitted.

(2) In Sub-regulation (3), after the words "consider such an application and", the words "call for comments of the Institute. After reviewing the application and the comments received from the Institute, the Authority shall" shall be inserted.

12. In Regulation 19

(1) In Clause (c) of Sub-regulation (1), the words "license number and period of validity" shall be substituted with "license number with its expiry date OR registration number, as the case may be".

(2) In Sub-regulation (2), the word "license" shall be substituted with "license/registration".

13. In Regulation 23

(1) The heading shall be substituted, namely:-

"Suspension of license/registration for reasons other than non-payment of annual fee".

(2) In Sub-regulations (1) to (5), the word "license" shall be substituted with "license/registration".

(3) In Clause (c) of Sub-regulation (1), the word "thereof" shall be substituted with the words "of license".

(4) In Clause (c) of Sub-regulation (1), the words "issue or renewal of such license" shall be substituted with the words "date of registration".

14. In Regulation 24

(1) In Sub-regulations (1) and (2), the word "license" shall be substituted with "license/registration".

(2) Sub-regulation (3) shall be substituted, namely:-

"A surveyor whose license/registration has been cancelled for any reason, except where cancellation is under sub-Regulation (3) of Regulation 9, may submit an application for issuance of new registration, after the expiry of one year from the date of such cancellation. An individual surveyor shall apply under Regulation 3

after enrolling afresh under Regulation 17 and complying with the requirements thereunder. Similarly, a corporate surveyor, in this case, shall apply directly under Regulation 4.

Provided that if the registration is cancelled under Regulation 9, the requirement of one year waiting period shall not apply. However, the procedure specified above to apply for new registration for both individual and corporate surveyors shall remain the same."

15. In Regulation 25

In the heading and in Sub-regulations (1) to (5), the word "license" or "licence" shall be substituted with "license/registration".

16. In Regulation 25A

In the heading and in Sub-regulations (1) to (5), the word "license" shall be substituted with "license/registration".

17. In Regulation 28, the words "and renewal" shall be omitted.

18. In **Schedule II**, FORM – IRDAI – 2 – LF shall be substituted, namely:-

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015

FORM – IRDAI – 2 – LF

Certificate of Registration

Photo

Registration No.:

Mr./ Mrs./ Miss:

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority hereby grants a Certificate of Registration to the person specified above to act as Surveyor and Loss Assessor (Individual) under Section 64UM of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), subject to conditions specified in the Act and the Regulations made thereunder.

This Certificate of Registration shall remain in force subject to payment of annual fee until it is suspended or cancelled by the Authority.

_________________________ is allocated following departments:

Fire	Marine Cargo	Marine Hull	Engineering	Motor	Miscellaneous	Loss of Profit	Crop
Yes/NIL	Yes/NIL	Yes/NIL	Yes/NIL	Yes/NIL	Yes/NIL	Yes/NIL	Yes/NIL

Membership Number of IIISLA:

(Signature of SLA)

By Order

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India

Place: Hyderabad

Date:

19. In **Schedule II**, FORM – IRDAI – 4 – LF shall be substituted, namely:-

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015

FORM – IRDAI – 4 – LF

Certificate of Registration

Registration No.:

Name of the Company/Firm:

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority hereby grants a Certificate of Registration to the entity specified above to act as Surveyor and Loss Assessor (Corporate) under Section 64UM of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), subject to conditions specified in the Act and the Regulations made thereunder.

This Certificate of Registration shall remain in force subject to payment of annual fee until it is suspended or cancelled by the Authority.

Following are the details of Directors / Partners along with individual registration/license no. and departments:

Name	Registration No.	Fire	Marine Cargo	Marine Hull	Engineering	Motor	Miscellaneous	Crop	LOP

Place: Hyderabad

Date:

By Order

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India

Photo Director/Partner 1	Photo Director/Partner 2	Photo Director/Partner 3
Name	Name	Name
Licence/Registration No.	Licence/Registration No.	Licence/Registration No.
Signature	Signature	Signature

20. In **Schedule II**, FORM – IRDAI –7 – LF, FORM – IRDAI –8 – LF and FORM – IRDAI –10 – LF shall be omitted.

G. R. SURYA KUMAR, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./247/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA